कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/19–20 दिनांकः 16-09-2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में निःशुल्क साईकिल वितरण योजना की क्रियान्वयन हेतु निविदा की शर्तो के अनुसार कम्पलीट लेडीज (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) साईकिल 20" की आपूर्ति,तकनीकी निरीक्षण,वितरण एवं भुगतान के संबंध में।

साईकिल क्रय हेतु ई–प्रोक माध्यम से प्राप्त निविदा के तकनीकी, वित्तीय, दर–संशोधन (Negotiation), व दर–सहमति के सम्बन्ध में फर्मो द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तरीय क्रय समिति ने न्यूनतम दर दाता फर्म विशाल साईकिल्स प्राईवेट लि0, लुधियाना (पंजाब), हीरो ईकोटेक प्राईवेट लि0, लुधियाना (पंजाब) व फर्म सेठ इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन, लुधियाना (पंजाब) की अनुमोदित व स्वीकृत न्यूनतम दर राशि रूपये 3346/– (अक्षरे रूपये तीन हजार तीन सौ छियालिस मात्र) प्रति साईकिल (समस्त करों सहित) के आधार पर दिनांक 24.08.2019 को दर सहमति आदेश दिनांक 09.09.2019 को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है । **निविदा प्रलेख, फर्म से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति,Defective Liability Period डीलर एवं सब–डीलर की सूची की छाया प्रतियां एवं फर्म के Key Person की मोबाईल नम्बर सहित सूची संलग्न कर जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक के कार्यालय की मेल आई.डी. पर दिनांक 12.09.2019 को भिजवा दी गई है । अतः निविदा प्रलेख व अनुबन्ध के प्रावधानों व इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित फर्मो से कम्पलीट लेडिज साईकिल ब्लैक कलर 20" (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) आपूर्ति ली जानी सुनिश्चित करें ।** सम्बन्धित फर्मो द्वारा कम्पलीट लेडिज साईकिल ब्लैक कलर 20" की (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) आपूर्ति निर्धारित नोडल विद्यालय में की जानी है । इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश नीचे जारी किये जा रहे है ।

आपूर्ति, परिवहन व तकनीकी जांच संबंधी दिशा–निर्देश :–

01. कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त छात्राओं (शहरी व ग्रामीण) को निःशुल्क कम्पलीट लेडीज साईकिल 20" (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) का वितरण किया जाना है। **शिक्षा सत्र 2019–20 के दौरान अध्ययन छोड़कर जानें वाली छात्राओं से निःशुल्क साईकिल वितरण की स्थिति में राशि रूपये 3346– वसूल की जावे ।**
02. फर्मो द्वारा कम्पलीट लेडीज साईकिल 20" (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) का परिवहन अपनें स्वयं के खर्च पर संबंधित जिले के प्रत्येक नोडल केन्द्र (पंचायत समिति मुख्यालय) पर किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी नोडल केन्द्र की स्थापना, विद्यालयों की संख्या, छात्राओं की संख्या, विद्यालयों की दूरी व निरीक्षण को मध्य नजर रखते हुए अपने स्तर से करने हेतु पूर्णतः अधिकृत है । साईकिलों का निरीक्षण व वितरण त्वरित गति से करनें हेतु स्थापित नोडल केन्द्रों के अधीन स्थित विद्यालयों की दूरी को अवश्य ध्यान में रखें । नोडल केन्द्रो की स्थापना व कक्षा–9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या आप द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भी फर्मो को साईकिल आपूर्ति के आदेश जारी किये गये है । अतः अपेक्षा की जाती है कि नोडल केन्द्रो व नोडल केन्द्रो से संबंधित विद्यालयों तथा **छात्राओं से संबंधित संख्या को अपडेट करें** ताकि व्यवस्थित साईकिल वितरण किया जा सके। **शिक्षा सत्र 2019–20 में वास्तविक नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओ की संख्या आदेशित साईकिलों की संख्या से अधिक/कम होनें की स्थिति में सूचना/रिपोर्ट निदेशालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें।**
03. फर्मो को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा साईकिल के असेंम्बलिंग/फिटिंग हेतु विद्यालय में (नो एन्ट्री क्षेत्र में) पर्याप्त खुला स्थान उपलब्धता के अनुसार (Open space) उपलब्ध करवायें। यथा संभव प्रयास किया जावें की विद्यालय से संबंधित स्थान सड़क मार्ग से जुडा हो ताकि **साईकिल के परिवहन लोंडिग/अनलोंडिग एवं वितरण में फर्म/छात्राओं/अभिभावको को सुविधा रहें।** पर्याप्त खुले स्थान के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुविधा (कमरे, पानी, बिजली व्यवस्था) हेतु फर्म द्वारा विद्यालय प्रबंधनसमिति को लिखित में आवेदन करने पर विद्यालय प्रबंधन समिति समस्त अतिरिक्त सुविधाऐं निर्धारित शुल्क की वसूली (वाणिज्यिक दर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर) की शर्तो पर देने हेतु अधिकृत होगी।
04. जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर कम से कम 03 निरीक्षण कमेटियों का गठन किया जावे । जिला शिक्षा अधिकारी व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में साईकिल असेम्बल के पश्चात् निरीक्षण किया

....2.....

जाना अनिवार्य है । कमेटी में जिले में स्थित (1)राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय आईटीआई के यांत्रिक शाखा का अधिकारी (2) जि.शि.अ. कार्यालय में पद स्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय व (3) संबंधित नोडल केन्द्र प्रभारी सदस्य के रूप में नियुक्त होंगें। निविदा की भार्तो के अनुसार **निरीक्षण कमेटी को निविदा प्रलेख के भाग संख्या 9 की बिन्दु संख्या 28 (बी) के अनुसार असेम्बल के पश्चात् आपूर्ति की गई साईकिलों** का निरीक्षण नोडल केन्द्रों पर निर्धारित मानको के अनुसार 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के पश्चात् रेण्डम आधार पर अनुसूची–2 के अनुसार तकनीकी जांच करना अनिवार्य है। जांच पश्चात् कमेटी को रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (अनुसुची 2 के बिन्दूओं के अनुसार) में निरीक्षण की गई साईकिलों की रिपोर्ट पर कमेटी के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर,जांच दिनांक, जांच की गई साईकिलों की संख्या व जांच निष्कर्ष टिप्पणीं सहित प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा समस्त साईकिलो का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन नहीं कर निरीक्षण की रिपोर्ट करने की स्थिति में सम्बन्घित जिला शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी की सम्पूर्ण जवाबदेही होगी । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा असैम्बल के पश्चात् साईकिलो के निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन उक्त दिशा निर्देश के प्राप्ति के तुरन्त बाद किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिला स्तर पर गठित कमेटी (कमेटी के समस्त सदस्यों का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करते हुए) की एक प्रति इस कार्यालय को ई–मेल caosecdeu@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

05. निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित सेम्पल आपके प्रतिनिधि को (प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) 01 की संख्या में निदेशालय स्तर से उपलब्ध करवायें जायेंगें। नोडल स्तर पर फर्म द्वारा उपलब्ध करवायी जानी वाली कम्पलीट लेडीज साईकिलों को निदेशालय स्तर से उपलब्ध करवायी गई सेम्पल से मिलान करवानें व आपके द्वारा गठित जांच समिति से तकनीकी मानकों (बिड डॉक्युमेन्ट की अनुसुची 2 में अंकित बिन्दूओं) के आधार पर जांच सुनिश्चित की जानी है।

06. कम्पलीट लेडीज साईकिल के बास्केट के आगे के भाग पर व पीछे मडगार्ड पर (बिड डॉक्युमेन्ट की अनुसुची 2 में अंकित मानक) निर्धारित डिजाईन, साईज का ट्राई कलर का लोगो फिक्स होना चाहिए ।

07. फर्म द्वारा कुल आपूर्ति (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) की गयी साईकिलों की प्रत्येक नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा फर्म को (प्रत्येक नोडल प्रभारी द्वारा जारी रसीद संलग्न प्रारूप में साईकिलों के निरीक्षण के पश्चात् कुल संख्या, प्राप्ति दिनांक, हस्ताक्षर मय सील व भण्डार पंजिका में प्रविष्टि के प्रमाण सहित जारी की जानी अनिवार्य है।) प्राप्ति रसीद जारी करेगें । नोडल स्तर पर सम्पन्न तकनीकी निरीक्षण के पश्चात् कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में जारी की जानी अनिवार्य है । उक्त सूचना को शाला दर्पण व caosecedu@gmail.comपर ई–मेल द्वारा एवं स्पीड पोस्ट द्वारा तकनीकी निरीक्षण के पश्चात् 03 दिवस में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर को निम्न प्रारूप में पूर्ति पश्चात् (मूल जांच रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

क्र. स.	आपूर्ति (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) साईकिलों की नोडलवार कुल संख्या	नोडलवार निरीक्षण पश्चात् आपूर्ति की दिनांक	नोडलवार निरीक्षण की गई साईकिल की कुल संख्या	नोडलवार निरीक्षण की दिनांक	नोडलवार निरीक्षण कमेटी की जांच टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

नोट :– उक्त प्रपत्र में समस्त सूचनाऐं असेम्बल व निरीक्षण के पश्चात नोडल प्रभारियों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर की जानी है । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा प्रपत्र पूर्ति के पश्चात् नोडल प्रभारी द्वारा जारी मूल प्राप्ति रसीद व मूल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर को प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

वितरण संबंधी दिशा–निर्देश :–

08. वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवितरित अवशेष रही ऑरेन्ज साईकिलों के वितरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश चाहे गये हैं । दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आपको अलग से अवगत करवा दिया जावेगा, तद्नुसार कार्यवाही की जावे ।

09. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा नोडल केन्द्रो से विद्यालय तक साईकिल पहुंचानें व पात्र छात्रा को साईकिल वितरण तक की समस्त परिवहन व्यवस्था करनी होगी, यह व्यवस्था पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार की जानी सुनिश्चित करें। परिवहन हेतु निदेशालय स्तर से पृथक से बजट आंबटित नही किया जायेगा, यह राशि संबंधित शालाके छात्रानिधि कोश से व्यय की जा सकेगी। फर्म नोडल केन्द्र से सम्बन्धित विद्यालयों में साईकिल पहुंचाने/वितरण हेतु अधिकृत नहीं है ।

....3.....

10. नोडल केन्द्र प्रभारी व शालाप्रधान द्वारा पात्र छात्राओं की संख्या व कैटेगरी के अनुसार ही साईकिल (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) की आपूर्ति ली जावेगी। आपूर्ति ली गयी साईकिलों की संख्या की इन्द्राज शालाके भण्डार पंजिका में किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शालाप्रधान से निम्नांकित सूचना प्राप्त करनें के पश्चात् संबंधित नोडल केन्द्र प्रभारी को अधीनस्थ विद्यालय को असेम्बल व निरीक्षण के पश्चात आंवटन हेतु निर्देशित करें।

क्र. स.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा 9 में प्रवेश की दिनांक	श्रेणी	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लाभ (हां/नही)	हस्ताक्षर शालाप्रधान
1	2	3	4	5	6	7

11. नोडल केन्द्र प्रभारी/शाला प्रधान द्वारा वितरित की गयी साईकिलों की प्रगति रिपोर्ट विद्यालयवार व केटेगरीवार हस्ताक्षर सहित जिला शिक्षा अधिकारी को वितरण के तीन दिवस में उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी जिला शिक्षा अधिकारी/शाला प्रधान एक प्रति अगले दिन शाला दर्पण व विभागीय ई–मेल caosecedu@gmail.comपर अपलोड करनें की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।

12. ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा प्राप्त छात्रा को निःशुल्कसाईकिल उपलब्ध नही करवायी जायेगी।
13. **निविदा प्रलेख की अनुसूची–2** में आपूर्ति की जाने वाली साईकिलों की **तकनीकी मानको** को विस्तार से उल्लेखित किया गया है जिससे आप **अद्यतन एवं परिचित हो।**
14. साईकिल योजना के संबंध में गुणवता व वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो अविलम्ब निदेशालय के ध्यान में लाया जायें। उचित होगा कि स्थानीय स्तर पर साईकिल आपूर्ति/वितरण के संबंध में संवाद (आई.ई.सी.) स्थापित किया जावें।
15. शाला प्रधान साईकिल वितरण की समेकित प्रगति रिपोर्ट विद्यालयवार व केटेगरीवार प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर अपलोड करेगें तथा हॉर्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेगें ।

भुगतान संबंधी दिशा–निर्देश :–

16. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बिन्दू संख्या 7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप की पूर्ति कर व प्रत्येक नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात् फर्म को जारी मूल प्राप्ति रसीद व तकनीकी कमेटी द्वारा की गई जांच की मूल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के पश्चात भुगतान स्वीकृति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी की जायेगी।
17. फर्म द्वारा जिले की पूर्ण मांग के अनुसार समस्त साईकिल (असेम्बल व निरीक्षण के बाद) सप्लाई करनें पर फर्म द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये बिलो का नियमानुसार प्रमाणीकरण कर, बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कार्यालय के लेखा डी–2 अनुभाग में प्रस्तुत करेगें। फर्म को अनुबन्ध/निविदा की शर्तो के अनुसार कोई भी रनिंग/अन्तरिम भुगतान देय नही होगा।

18. भुगतान स्वीकृति आदेश की अनुपालना में आंवटित बजट राशि के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय हाजा फर्मो द्वारा प्रस्तुत बिलों की राशि के भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में अभिलिखित नियमों की पूर्ण पालना के पश्चात् बिल भुगतान पारित हेतु कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेगें ।

19. कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय हाजा, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान मे से नियमानुसार समस्त वैधानिक कटौती करेगें तथा फर्म को आयकर/ जी.एस.टी. कटौती भुगतान प्रमाण पत्र भी निर्धारित अवधि में जारी करेंगे ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। समस्त साईकिल आपूर्ति/वितरण व निरीक्षण अभिलेख विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in व शाला दर्पण पर अपलोड करेगें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

....4.....

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28011 / 19–20 दिनांकः 16-09-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान–जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–I) विभाग, राजस्थान–जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान–जयपुर को भेजकर लेख है कि संस्कृत विद्यालय हेतु साईकिल वितरण हेतु सम्बन्धित शाला प्रधानों को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से समन्वय स्थापित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करावें ।
4. निदेशक, (प्रशिक्षण) तकनीकी शिक्षा,राजस्थान, जोधपुर को भेजकर लेख है कि साईकिल के तकनीकी निरीक्षण हेतु गठित कमेटी हेतु तकनीकी सदस्य उपलब्ध करवानें हेतु अधीनस्थों को समुचित दिशा–निर्देश जारी करावें ।
5. निदेशक, तकनीकी शिक्षा,राजस्थान, जोधपुर को भेजकर लेख है कि साईकिल के तकनीकी निरीक्षण हेतु गठित कमेटी हेतु तकनीकी सदस्य उपलब्ध करवानें हेतु अधीनस्थों को समुचित दिशा–निर्देश जारी करावें ।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र (समस्त) को साईकिल असेम्बिलिंग, निरीक्षण व वितरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि साईकिल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में पाबन्द करें तथा पर्यवेक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान –बीकानेर को प्रस्तुत करें ।
7. उपनिदेशक (योजना), कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि साईकिलों की सम्पूर्ण योजना की प्रभावी मानेटरिंग सुनिश्चित करें व रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।
8. संबंधित नोडल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि असेम्बल व निरीक्षण के पश्चात् ही साईकिल, आपूर्ति फर्म से ली जानी सुनिश्चित करें। संबंधित फर्म को जारी प्राप्ति रसीद में आपूर्ति की गई साईकिल संख्या, प्राप्ति दिनांक, हस्ताक्षर व कार्यालय की सील अनिवार्य रूप से अंकित करें ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ समस्त नोडल केन्द्रों (साईकिल वितरण) के प्रभारियो को अपने स्तर से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
10. लेखाधिकारी बजट,कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि लेखा डी–2 अनुभाग स्तर पर जारी भुगतान स्वीकृति आदेश के अनुसार ही रोकड़ अनुभाग, कार्यालय हाजा को बजट आवंटन करनें की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
11. अनुभागाधिकारी, आई.सी.पी., योजना अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनें हेतु।
13. अनुभाग अधिकारी, शाला–दर्पण कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि साईकिल वितरण की दैनिक प्रगति रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय के स्तर पर अपलोड करनें हेतु निर्धारित प्रक्रिया सुनिश्चित करें ।

(बी0 डी0 शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर